titled to the share of petroleum produced corresponding to their participation.

गैस/पेट्रोल पम्प एजेंसियों के आवंटन के लिये आरक्षण

710. श्री संतोष बागड़ोदिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन विभिन्न श्रेणियों के लिए गैस और पेट्रोल पम्प एजेंसियों के आवंटन हेतु आरक्षण की व्यवस्था विद्यमान है;

(ख) शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत कोटा आरक्षित किया गया है और उसके लिए आवेदन आमंत्रित करने का तरीका क्या है;

(ग) उन स्थानों के राज्यवार नाम क्या हैं, जहां वर्ष 1988-89 के दौरान गैस/पेट्रोल पम्प एजेंसियों के आवंटित किए जाने की संभावना है; और

(घ) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां केवल शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को ही गैस/पेट्रोल पम्प एजेंसियों का आवंटन किया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) इस समय विभिन्न श्रेणियों के लिये 45% का आरक्षण है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण (नीचे देखिये) में दिया गया है। अन्य मामलों की भांति तेल उद्योग समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन आमंत्रित करता है।

(ग) इस बात को देखते हुए कि विभिन्न डीलरशिपों/वितरणशिपों का चयन तेल उद्योग द्वारा समय-समय पर किया जाता है इस लिए उन स्थानों का नाम बताना व्यवहार्य नहीं है जिनके लिए 1988-89 के दौरान खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिप अलाट कर दी जायेंगी।

(घ) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है।

विवरण

(1) अनुसूचित जाति/जन जाति (एस सी/एस टी)	25%
(2) शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी (पी एच) शारीरिक रूप से विकलांग/सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर विकलांग हो गये हों (रक्षा कार्मिकों को छोड़कर) सरकारी कर्मचारियों की विधवायें जो ड्यूटी के दौरान मारे गये हों (रक्षा कार्मिकों को छोड़ कर)	7½%
(3) रक्षा श्रेणी (डी ई एफ)	7½%

(i) वे रक्षा कार्मिक जो लड़ाई में या शान्ति के समय में सैनिक ड्यूटी के दौरान स्थाई रूप से और गंभीर रूप से विकलांग हो गये हों।

(ii) रक्षा कार्मिकों की विधवायें और मातृहीन आश्रित जिन के पति/अभिभावक लड़ाई में या शान्ति के दौरान सैनिक ड्यूटी पर मारे गये हों। अविवाहित कार्मिकों के मामलों में जो ड्यूटी पर मारे गये हों (या बिना बच्चों वाला विधुर) के आश्रित के रूप में निम्नलिखित पात्र होंगे :

(1) माता-पिता
(2) भाई
(3) अविवाहित बहन

(iii) भूत पूर्व सैनिकों के वे सबसे सुपात्र मामले जिनके रहन-सहन के लिये कोई साधन न हो इस श्रेणी के अंतगत केवल उन्हीं ऐसे मामलों पर विचार किया जायेगा जिनकी सिफारिश पुर्नवास महानिदेशालय/रक्षा मंत्रालय ने की हो

(4) स्वतंत्रता सेनानी (एफ एफ)	5%